



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – दुर्ग, (छ.ग.)

Tele - 0788-2210773, 2210301

email – cmodurg@yahoo.com

क्रमांक / डी.एम.एफ. / 2024 / 7213

दुर्ग, दिनांक 4/10/2024

// जिला खनिज संस्थान न्यास मद से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

Walk In Interview

कलेक्टर सह अध्यक्ष महोदया, प्रबंधकारिणी समिति, D.M.F. दुर्ग द्वारा प्रदाय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन के परिपालन में, D.M.F. मद से रिक्त मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक पद पर दिनांक 31-03-2025 तक की अवधि के लिये संविदा नियुक्ति किया जाना है। मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक पद हेतु इच्छुक आवेदक अपने सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन **Walk in Interview** हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है:-

पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय	:	15/10/2024 सुबह 10.00 से 12.30 बजे तक
पात्र/अप्राप्त सूची का प्रकाशन	:	दोपहर 02 बजे तक
दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय	:	दोपहर 02.00 से 02.30 बजे तक
दावा आपत्ति निराकरण	:	दोपहर 02.30 से
Walk in Interview साक्षात्कार	:	शाम 04.00 बजे अथवा आवेदन संख्या अधिक होने पर आगामी तिथि में की जावेगी।

नोट :- (1) पात्र/अपात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

(2) दावा आपत्ति आवेदन निराकरण उपरांत अंतिम पात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

क्रं	पदनाम एवं पद संख्या	एकमुश्त प्रति माह मानदेय वेतन	शैक्षणिक योग्यता
1	01 पद मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक	As per DMF Fund Fix Salary Package for MD/DNB Rs. 2,00,000=00 (Two Lac Only) Salary Package for PG Diploma in Psychiatry Rs. 1,50,000=00 (One Lac Fifty Thousand Only)	1. MD Or 2. DNB Or 3. PG Diploma in Psychiatrist

(I) नियम एवं शर्तें

1. आयु - अभ्यर्थी की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 होना चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2024 अनुसार की जावेगी।
2. अंकित पद पूर्णतः संविदा पद है।
3. निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
4. संविदा भर्ती के संबंध में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:-
 - 4.1 10 वीं अथवा 12 वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
 - 4.2 संबंधित कोर्स से उत्तीर्ण समस्त वर्षों की अंकसूची।
 - 4.3 छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. प्राप्त आवेदनों की एवं वरीयता प्रतिक्षा सूची वैधता विज्ञापन जारी दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए होगी।
6. चयनित उम्मीदवारों तथा प्रतिक्षा की सूची को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुर्ग के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट durg.gov.in पर देखा जा सकेगा। किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।


8. संविदा सेवक के लिये यह अनिवार्य होगा कि अनुबंध आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें ।
9. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की दशा में नियोक्ता द्वारा समान सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी को होगा।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
11. चयनित चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पदस्थापना स्थल में ही मुख्यालय बनाकर रहना होगा ।
12. संविदा नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
13. चयनित विशेषज्ञ चिकित्सक को नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य संपादन करना होगा ।
14. सेवानिवृत्त चिकित्सक को प्राप्त मासिक नियमित पेंशन राशि घटाकर शेष धनराशि का भुगतान, D.M.F. से किया जावेगा तथा संविदा सेवा अधिकतम 70 वर्ष आयु सीमा निर्धारित होगा ।
15. छ०ग० शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नया रायपुर से अंकित पद की पूर्ति तक अथवा दिनांक 31 मार्च 2025 तक के अवधि दोनों में से जो भी पहले पूर्ण होगा समयावधि के लिए हैं ।
16. संविदा नियुक्त कर्मीद्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो ०1 माह पूर्व सूचना अथवा 1 माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि D.M.F. मद में जमा करना होगा ।
17. अनुभव :-शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने पूर्ण प्रतिवर्ष पर 03 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये 15 अंक एवं निजी संस्था में कार्यरत अभ्याथियों को प्रतिवर्ष पूर्ण होने पर 02 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा ।

18 मेरिट लिस्ट का निर्धारण -

- 18.1 मनोरोग विशेषज्ञ पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता MD डिग्री को प्राथमिकता दी जावेगी नहीं मिलने पर DNB को प्राथमिकता दी जावेगी, एवं दोनों नहीं मिलने पर PG Diplomain Psychiatry योग्यता को लिया जावेगा।
- 18.2 निर्धारित समय सीमा में मनोरोग विशेषज्ञ पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम सूची निम्नानुसार बनाई जावेगी ।

क्र.	पद	शैक्षणिक योग्यता	साक्षात्कार अंक	अनुभव का अंक	कुल अंक
1	Psychiatrist	65% (MD/DNB/PG Diploma in Psychiatry)	20	15	100

19. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता होने पर तथा मानदेय वेतन भुगतान हेतु बजट आबंटित किये जाने पर संविदा सेवा अवधि वृद्धि पर विचार किया जावेगा ।
20. उपरोक्त पद पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय का अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, जिला खनिज संस्थान न्यास मद, जिला दुर्ग (छ.ग.) का होगा ।


 मुख् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-दुर्ग (छ.ग.)
 01/11/2024



